

कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

पत्रांक

/जि0ग्रा0अ0

दिनांक

शाखा प्रबन्धक

.....
.....
.....

विषय : मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों को जिला ऋण योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

श्री आत्मज श्री निवासी ग्राम ...
..... ब्लॉक तहसील
... जिला का आवेदन पत्र जिला ऋण योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में निम्नांकित परियोजनानुसार उद्योग में आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु भेजा जा रहा है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में इकाई स्थापित हो सके।

अग्रणी बैंक अधिकारी तथा निदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 16, विधान सभा मार्ग, लखनऊ से समस्त व्यवसायिक बैंकों एवं समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खादी खादी ग्रामोद्योग की जिला योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों/साझेदार इकाईयों हेतु मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खादी बोर्ड द्वारा संचालित योजना में 5,00,000.00 तक ऋण दिलाये जाने का प्राविधान किया गया है। उद्यमी द्वारा अपनी योजना तैयार की गई है। उसके अनुसार बैंक से जो भी ऋण स्वीकृत किया जायेगा उसके विपक्ष में वार्षिक ब्याज की निर्धारित दर से अधिकतम 10 प्रतिशत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड वहन करेगा तथा निर्धारित ब्याज का अन्तराल कम से कम उद्यमी वहन करेगा।

उद्यमी द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत वस्तुओं का उत्पादन करके स्थानीय बाजारों में थोक व फुटकर बिक्री करेगा। उद्यमी बैंक के नियम के अनुसार जमानत देने में सक्षम है। बैंक के नियमानुसार उद्यमी से जमानत प्राप्त करेंगे।

अतः उद्यमी को निम्नांकित मदों में ऋण स्वीकृत करने हेतु संस्तुति की जाती है।

क्रमांक	मद	धनराशि ऋण
1.	भवन	रु0
2.	मशीन एवं उपकरण	रु0
3.	कार्यशील पूंजी योग	रु0

खादी बोर्ड के पास मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को सफल बनाने हेतु ब्याज ऋण की भुगतान की जाने वाली धनराशि उपलब्ध है। यदि आप द्वारा उद्यमी के पक्ष में स्वीकृति दी जाती है तो आपको अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से ब्याज धनराशि बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

भवदीय,

प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) /
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी